स्पीड पोस्ट

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA
बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय
OFFICE OF THE DIRECTOR OF CENSUS OPERATIONS, BIHAR
बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राज पथ, पटना 800 004
Bihar State Co-Operative Bank Bhawan, Ashok Raj Path, Patna-800 004
Phone No. 0612-2675929, 2675672,Fax-0612-2675049 Email dco-bih.rgi@censusindia.gov.in

2011

पत्रांक– डी0 26015/5/2010– 244 दिनांक – 11/4/2013

निविदा आमंत्रण

उपर्युक्त के संबंध में सूचित करना है कि बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय, बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना–800004 में नन ए0सी0 छोटा वाहन (एम्बेसडर/इंडिका/जिप्सी आदि) का परिचालन चालक के साथ 30.9.2013 तक चलाने (प्रतिदिन/मासिक) की अनुमति के आलोक में निबंधित फर्म द्वारा दर हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। वाहन का परिचालन कि0मी0 के आधार पर स्थानीय एवं पटना से बाहर आवश्यकतानुसार समय पर उपलब्ध कराने पर दर अंकित करते हुए दिनांक 18.04.2013 तक मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाये।

(अ) कार्य किये जाने संबंधी विस्तृत ब्योराः–

1) पदाधिकारियों द्वारा बताये गये समय पर आना एवं जाना होगा।
2) स्थानीय परिचालन एवं मुख्यालय (पटना) से बाहर के परिचालन का दर अलग–अलग प्रस्तुत करना होगा।
3) वाहन के खराब/बिगड़ जाने पर मरम्मत की जिम्मेवारी संबंधित फर्म की होगी। तथा वाहन खराब होने की स्थिति में वैकल्पिक वाहन तत्काल उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी भी फर्म की होगी।
4) मुख्यालय से बाहर जाने पर रात्रि विश्राम की स्थिति में भी दर प्रस्तुत करना होगा।
5) अपने पत्र पर सर्विस टैक्स नम्बर भी दर्शाना आवश्यक होगा।
6) वाहन चालक का ड्राईविंग लाइसेंस (स्थायी होना चाहिए) तथा नियमानुसार नवीकृत होना चाहिए।
7) वाहन हेतु पेट्रोल आदि का व्यय फर्म द्वारा किया जायेगा।

(ब) सामान्य शर्तेः–

1) किसी भी निविदा को बिना कारण बताये पूर्णतः या अंशतः रद्द करने का अधिकार निदेशालय जनगणना परिचालन, बिहार पटना के पास सुरक्षित होगा।
2) निविदादाता आने वाले सभी खर्चों सहित उल्लेख करते हुए अपनी निविदा मुहरबंद लिफाफे, निविदा बॉक्स में दिनांक 18.04.2013 के अपराह्न 3:00 बजे तक प्रस्तुत कर

सकते हैं। अपराह्न 3:00 बजे के उपरांत किसी भी प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदाये उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे निविदा समिति के द्वारा खोली जायेगी। निविदादाता अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं।

3) निविदादाता की फर्म को परिवहन विभाग से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा तथा निविदा पैड पर उक्त पंजीकृत संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।
4) भुगतेय राशि से नियमानुसार आयकर (टी0डी0एस0) की कटौती की जायेगी।
5) सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

भवदीय,

10/4/13

(धीरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (का0 अ0)

1) ORGI Website
2) Notice Board
3) निविदा समिति के सदस्य